फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर, (SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्री बद्रीलाल **विपक्षी : श्रीमती अनवरी बेगम**

किस्म मुकदमा – 212 रा.का. अधिनियम **पत्रावली संख्या : 59/24**

जीसीएमएस : 2024/207

कमांक	कार्यवाही विवरण	

दिनांक : 29.08.2024

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। विपक्षी सं. 1 बावजूद सूचना अब तक अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जाते हैं। अधिवक्ता प्रार्थी की एकतरफा बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विपक्षी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाने का निवेदन किया। प्रकरण के अवलोकन से प्रार्थी द्वारा बंटवाडे का वाद प्रस्तुत किया उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। वर्तमान में वादग्रस्त भूमि के प्रार्थी एवं विपक्षी खातेदार हैं। प्रार्थी अस्थाई निषेधाज्ञा से विपक्षी को पाबंद कराना चाह रहे हैं। विपक्षी सं. 1 प्रार्थी को वादग्रस्त भूमि से बाहुबल के आधार पर बेदखल करना चाहती हैं जबकि सहखातेदारी भूमि में जब तक बंटवाडा नहीं हो जाता है तब तक प्रत्येक सहखातेदार का प्रत्येक इंच भूमि पर बराबर हक हिस्सा निहित होता हैं तथा कोई भी सहखातेदार जबरन विशिष्ट भू भाग पर कब्जा कर सहखातेदार को बेदखल नहीं कर सकता हैं। मूल वाद बंटवाडे का होने से यदि विपक्षी को पाबंद नहीं किया जाता है एवं विपक्षी वादग्रस्त भूमि को खुर्द बुर्द कर देते है या प्रार्थी को मौके से बेदखल कर देते है तो इससे प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी एवं अनावश्यक पैचिदगीया बढेगी। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विपक्षी को मूल वाद के निस्तारण तक पाबंद किया जाना न्यायहित में उचित प्रतीत होता हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का न्यायहित में स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

–: आदेश :–

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया विपक्षी के विरूद्व अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा इस अमर की जारी की जाती है कि मौजा घणोली पटवार हल्का नामरी तहसील मावली की जमाबन्दी सम्वत् 2077–80 की खाता सं. 4 पर दर्ज आराजी नम्बर 1149 रकबा 0.4290 हेक्टेयर भूमि में मूल वाद के निस्तारण तक मौके एवं राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहे। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।

(मनसुख राम डामोर)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Mansukh Ram Damor
Date: 2024.09.02 13:58:24 IST
Reason: SelfAttested